

(c) Action Committee of Kendriya Vidyalaya Sangathan Association is not a recognised Association and the names of its constituent associations are not maintained in the Kendriya Vidyalaya Sangathan.

Powers of Board of Governors of KVS

2947. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to answer to Unstarred Question 73 given in the Rajya Sabha on the 21st February, 1997, and state:

(a) whether it is obligatory on the part of the Chairman to get all his decisions, arrived at by him under authorisation from the Board of Governors, approved or concurred, past-facto, in the meeting of the Board which follows next of the date of the decision;

(b) if so, whether such an approval or concurrence had been obtained from the Board in the meeting of the Board that followed the decision of May, 1992 arrived at by the then KVS' BOG Chairman;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the validity of the said decision?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) Rule 25 of Memorandum of Association and Rules for Kendriya Vidyalaya Sangathan provides that the Chairman shall exercise such other powers as may be delegated to him by the Sangathan or the Board, provided that the action taken in exercise of such powers shall be reported to the next meeting of the Sangathan or the Board, as the case may be.

(b) to (d) The Minister of Human Resource Development who is also the Chairman of Kendriya Vidyalaya Sangathan had, in May, '92, accepted the recommendations of Malini Bhattacharya

Committee set up by the Govt., in pursuance of a suggestion by the Consultative Committee of Parliament attached to the Ministry of Human Resource Development.

Lack of Educational Institution in Sultanpur, Uttar Pradesh

2948. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of high schools, inter colleges and degree colleges in Sultanpur district of Uttar Pradesh, block-wise including Kurebhar block, with their names;

(b) whether Government are aware that there is no high school/college at block headquarter of Kurebhar;

(c) if so, whether Government propose to open an intermediate college there or upgrade the existing junior high school to make an intermediate college for promotion of girls' education;

(d) if so, the details thereof with expected time of implementation/completion; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Demand of Dhrupad Singer Asghari Bai

2949. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the renowned Dhrupad singer Asghari Bai has asked Government to take back her Padmashri Award or increase her pension;

(b) if so, the action Government propose to take in the matter; and

(c) whether Government would consider immediate doubling of such pensions for artists?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) No such communication has been received.

(b) Does not arise.

(c) Ms. Asghari Bai is getting a monthly pension of Rs. 1,500/- from the Central Government in addition to the monthly pension of Rs. 700/- she had been drawing from the Government of Madhya Pradesh. The State Government has intimated that her pension has been increased to Rs. 1,500/- per month with effect from 1st January, 1997 as a special case.

केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों की पदोन्नति के लिए पात्रता मानदण्डों में छूट

2950. श्री शिव चरण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विभागीय पदोन्नति कोटे द्वारा भरे जाने वाले स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के लिये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की पात्रता केवल तभी बनती है जब या तो उनके पास शिक्षा-स्नातक की डिग्री हो अथवा उन्होंने स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में 45 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों;

(ख) यदि हां, तो उन प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों का ब्यौर क्या है जिन्हें पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं किये जाने के बावजूद पदोन्नति किया गया है; और

(ग) क्या विभागीय पदोन्नति के उम्मीदवारों के लिये पात्रता मानदण्डों में छूट देने की कोई व्यवस्था नहीं है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया):

(क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षक के पद हेतु अनिवार्य अर्हताएं द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (45 प्रतिशत अंक और उससे अधिक को यथा-समकक्ष माना गया है) और शिक्षण/शिक्षा में विश्वविद्यालय उपाधि/डिप्लोमा है। तथापि स्नातकोत्तर शिक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की शर्त

उनके मामले में लागू नहीं होती जिनके पास मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 05 वर्ष का शिक्षण अनुभव है जिनमें से 03 वर्ष केन्द्रीय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के ग्रेड में होना चाहिए।

रैगिंग के कारण विद्यार्थियों की मृत्यु

2951. श्री शिव चरण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न महाविद्यालयों में रैगिंग के मामलों में चालू वर्ष के दौरान कितने विद्यार्थियों की मृत्यु हुई और उनका महाविद्यालय-वार और शहर-वार ब्यौर क्या है;

(ख) सरकार द्वारा भविष्य में रैगिंग को रोकने और विद्यार्थियों को यातना से बचाने के लिये क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) दोषी विद्यार्थियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया):

(क) इस विषय पर सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग के व्यवहार को निन्दीय और अनुपयुक्त मानती है। विश्वविद्यालयों और संस्थाओं तथा राज्य सरकारों को इस अभिशाप पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्यवाई करने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं और जहां रैगिंग की आड़ में ब्रिश्चिद अपराध होते हैं, वहां कानून में दण्ड के प्रावधान भी रखे गए हैं। विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को रैगिंग को गैर-कानूनी बनाने के लिए अपने आदेशों/विनियमों में संशोधन करने के लिए कहा गया है और इसमें भाग लेने वालों को "सामूहिक कदाचार" के रूप में अपराधी माने जाने के लिए भी कहा जा रहा है ताकि अपराधियों को विश्वविद्यालयों से निकालने अथवा नाम काटने का दण्ड दिया जा सके।

Status of Nehru planetarium

2952. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Teen Murti House is a Government property; and